हुक्म तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

रा.वि. सं. 18/2017 खेताराम वगैरा बनामः उगमकंवर वगैरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955 एवं सपठित
आदेश-39, नियम-1 व 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी.

दिनांक 09.06.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प अटल सेवा केन्द्र- बामनेरा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना के तहत सुलभ न्याय हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद-विषयक स्थिति अनुसार सरहद मौजा धनापुरा पटवार सर्कल बामनेरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 181, 182, 183, 184 कुल रकबा 4.45 हेक्टर के बारे में संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 21/2017 एवं इस पत्रावली में अभिव्यक्त कथनों व तथ्यों तथा साक्ष्य-दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2070-73 में दर्ज प्रविष्ठि के बारे में मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि संबंधित मूल वाद पत्रावली के निस्तारण होने तक वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति को यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा धनापुरा पटवार सर्कल बामनेरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 181, 182, 183, 184 कुल रकबा 4.45 हेक्टर के बारे में संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 21/2017 के निस्तारण होने तक वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति को यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त आदेश से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे, सूचित रहे।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 09.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प-अटल सेवा केन्द्र बामनेरा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 21/2017 के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner